न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 46/2024 G.C.M.S. No. 2024/213 दर्ज दिनांक : 05.07.2024

अपीलार्थी:

1. वेलाराम पुत्र हकमा, जाति बावरी, उम्र 58 वर्ष, निवासी करणवा, तहसील देसूरी व जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. पुनाराम पुत्र कसनाजी, उम्र 75 वर्ष, जाति बावरी, निवासी करणवा, तहसील देसूरी व जिला पाली।
2. पकाराम पुत्र गंगाराम
3. ओटाराम पुत्र गंगाराम
4. अमराराम पुत्र गंगाराम
5. पुरण पुत्र खंगार
6. प्रभु पुत्र खंगार
7. अर्जुन पुत्र खंगार
8. लक्ष्मण पुत्र खंगार
9. पन्ना पुत्र मोहन
10. शंकर पुत्र मोहन
11. फुलिया पुत्र मोहन
12. अचला पुत्र मोहन
13. बाबु पुत्र रामा
14. परबत पुत्र रामा
15. प्रभु पुत्र रावता
16. भीमा पुत्र रावता
17. श्रवण पुत्र रावता
18. गोपाल पुत्र रावता
    सभी जाति बावरी, निवासी करणवा, तहसील देसूरी, जिला पाली।
19. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार देसूरी, जिला पाली।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 सीपीसी

पैरोकार :–

1. श्री राजूराम पंवार, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री जुंझाराम परमार, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट संख्या 1
3. शेष रेस्पोंडेंट्स बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक: 29.08.2025

अपीलांट की ओर से जरिये अधिवक्ता अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर देसूरी द्वारा राजस्व वाद संख्या 03/2022 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 05.06.2024 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति के प्रार्थना पत्र के साथ हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई हैं। प्रार्थी अपीलांट

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

Scanned with OKEN Scanner

द्वारा धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र में मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि वादी रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा एक वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर खसरा नंबर 52 रकबा 158 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल जो स्वरूप पुत्र मोडा, जाति बावरी निवासी करणया की खातेदारी की कब्जा व काश्तसुदा विद्यमान थीं, की खातेदारी अपने नाम करने का पेश किया। जिसकी बाद सुनवाई अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 05.06.2024 को निर्णय व डिक्री पारित करते हुए रेस्पोंडेंट संख्या 1 को स्वरूप पुत्र मोडा की खातेदारी की जमीन का खातेदार घोषित कर दिया। जो नियमों के विरूद्ध एवं अपीलार्थी पक्ष रखे बगैर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रार्थी/अपीलार्थी श्रीमान हाजा के समक्ष अपील व स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहता है। जिस हेतु अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करने का सादर आदेश फरमावें।

रेस्पोंडेंट द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपीलांट प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा मृतक स्वरूपराम का गोदीपुत्र होने तथा उक्त स्वरूपराम के द्वारा रेस्पोंडेंट संख्या 1 के पक्ष में अपनी चल व अचल संपत्ति के संबंध में वसीयतनामा दिनांक 25.05.1989 को रेस्पोंडेंट संख्या 1 पुनाराम के पक्ष में निष्पादित करने से व दिनांक 02.07.1989 को स्वरूपराम का देहावसान होने से उक्त वसीयतनामा प्रभाव में आने से उक्त वाद बाद सुनवाई अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोंडेंट संख्या 1 के पक्ष में दिनांक 05.06.2024 को विधिवत डिक्री किया गया है। अपीलांट वेलाराम का अन्य किसी का मुतनाजा आराजी 52 रकबा 1.5800 हैक्टेयर में कोई हक व स्वत्व नहीं हैं। अतः अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने का कोई कानूनन अधिकार नहीं हैं। अतः प्रार्थना पत्र खारिज कर अपील खारिज फरमावें।

हमनें प्रार्थना पत्र पर विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी व उस पर मनन किया तथा पत्रावली व संगत विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है:-

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोंडेंट पुनाराम द्वारा वादग्रस्त आराजीयात जो सरूप पुत्र मोडा की खातेदारी आराजी है, के स्थान पर स्वयं सरूपजी का गोदपुत्र होने के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 05.06.2024 द्वारा निर्णित व डिक्री किया गया। उक्त प्रकरण में अपीलांट बतौर पक्षकार संयोजित नहीं हैं।
2. अपीलांट प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में ऐसा कोई तथ्य व कथन प्रकट नहीं किया है तथा न ही कोई दस्तावेजात पेश किए हैं, जिससे यह विश्वास किया जाए कि वह किस प्रकार

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

से सरूप पुत्र मोडा की खातेदारी आराजी में हित रखता है तथा यदि सरूप पुत्र मोडा लाऔलाद फौत हो तो मृतक के द्वितीय श्रेणी के विधिक वारिसान कौन–कौन है ? इस संबंध में कोई सूची व विवरण आदि पेश नहीं किया है। अपीलांट हकमा का पुत्र है, जबकि सरूप मोडा का पुत्र है। हकमा व भेला का अपीलांट से क्या संबंध है ? अपीलांट द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है। प्रार्थी अपीलांट द्वारा यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि वह अपीलाधीन निर्णय व डिक्री से किस प्रकार पीड़ित व प्रभावित पक्षकार है। अतः हमारे विनम्र मत में ऐसी स्थिति में अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किया जाना विधिसम्मत व उचित नहीं होगा।

3. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा विनम्र अभिमत है कि प्रार्थी अपीलांट का प्रार्थना पत्र बखूबी साबित नहीं होता है तथा अपीलांट अपीलाधीन निर्णय व डिक्री से पीड़ित व प्रभावित पक्ष होना बखूबी साबित नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना तथा इसके फलस्वरूप अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज/अस्वीकार किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः प्रार्थी अपीलांट का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 व्यवहार प्रक्रिया संहिता बखूबी साबित नहीं होने व सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है, फलस्वरूप अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपील प्रस्तुत करने की अनुमति विधारित होने से इसी स्तर पर खारिज/अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **29.08.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner